जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 22-11-2022

आज दिनांक 22.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री कृष्णदेव सिंह** की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 648 / 2022 धारा 366 / 120 (बी) / 376 भादवि के मामले मे वांछित बाल अपचारी नाम पता देवदर्शन पुत्र बिरजू प्रसाद निवासी डीहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 03.11.2022 को अपने साथियों के सहयोग से वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । अपहृता की बरामदगी व बाद मेडिकल परीक्षण के उपरान्त धारा 376 की बढ़ोत्तरी की गयी थी। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 22.11.2022 को उक्त आरोपी बाल अपराची को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी लोहरैया उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी, का0 संतोष यादव ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 नफर वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 02** वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1 – लुधई पुत्र राजाराम, 2 – शिवपूजन पुत्र रामअवध निवासीगण छपिया पराग थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, का0 राजू गुप्ता, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी14842 द्वारा मारपीट / विवाद के दौरान घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल - पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत बैजनाथपुर से इवेन्ट संख्या 07411 से कालर ने विवाद / मारपीट के दौरान 01 व्यक्ति पता (धर्मनाथ पुत्र कुमारे निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा घटना के संबंध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थनीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आरक्षी, बृजेश यादव, हो0गा0 चालक मेजर यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 106 वाहनो से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 106 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।